

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर**

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

[dirminority@gmail.com](mailto:dirminority@gmail.com)

दूरभाष नं.: 0141-2711938, 2711978

क्रमांक: एफ4(36)संस्थापन/असमावि/जिअसकअ/पार्ट-II/2018/ 16412

दिनांक :- 26-12-19

**आदेश**

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक 5229 दिनांक 02.07.19 के क्रम में साक्षात्कार कमेटी के द्वारा अभिशंषित पैनल का सक्षम स्तर से अनुमोदित किया गया। पैनल में से चयनित अभ्यर्थियों को, उनके पैतृक विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशासनिक विभाग के निर्देशानुसार उनके नाम के समक्ष अंकित जिलों/कार्यालयों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर निम्नानुसार प्रतिनियुक्त/पदस्थापित किया जाता है :-


क्र. सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापित स्थान
1	श्री अकबर खान	प्राध्यापक-वाणिज्य, रा०उ०मा०वि० मालाखेडा, अलवर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अलवर
2	श्री मंजूर खां पठान	प्राध्यापक-हिन्दी, रा०आ०उ०मा०वि०,सोमरवालों का खेडा, राशमी, चित्तौडगढ	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, चित्तौडगढ
3	श्री मो० जलाल उद्दीन	प्राध्यापक-उर्दू, आ०रा०उ०मा०वि०, जालौर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अजमेर (श्री मोहम्मद उमरदराज के स्थान पर)
4	श्री हासमदीन	प्राध्यापक-अंग्रेजी, रा०उ०मा०वि०, पोकरण, जैसलमेर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जैसलमेर
5	श्री मोहम्मद नियाज	प्राध्यापक-इतिहास, रा.उ.मा.वि. ,बेरडो का बांस, जोधपुर (हाल रा०ब्रज लाल बुधिया बालिका उमावि, रतननगर, चूरु)	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, चूरु
6	श्री गुलाम मोहम्मद	प्राध्यापक-हिन्दी, रा०उ०मा०वि०, भवाद-बावडी, जोधपुर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जोधपुर (श्री हनीफ खान के स्थान पर)
7	श्री आजाद खान पठान	प्रशिक्षक ग्रेड-प्रथम, रा.फतह उ.मा. वि., उदयपुर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, भीलवाडा
8	श्रीमती हेमलता कांकरिया	प्राध्यापक-राजनीति विज्ञान, रा.उ.मा. वि., कैलाशपुरी, उदयपुर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उदयपुर
9	श्री रमेश चन्द जाट	प्रधानाचार्य, रा.आ.उ.मा.वि. कोटुन्दा बेगू, चित्तौडगढ	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, झालावाड
10	श्री रमेश चन्द जोशी	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, दोवडा, जिला डूंगरपुर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, डूंगरपुर
11	श्री खुशीद अहमद	नर्स-प्रथम, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गहलोद, टोंक	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, टोंक

*(Handwritten signature)*



प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन की शर्तें निम्नानुसार प्रभावी रहेगी :-

1. प्रतिनियुक्ति आदेश सामान्य रूप से 01 वर्ष अथवा विभाग में नियमित अधिकारी के पदस्थापन की तिथि (जो भी पहले हो) तक मान्य रहेगा।
2. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारियों के कार्य की समीक्षा 01 वर्ष की अवधि के उपरान्त ही प्रतिनियुक्ति सेवा अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है।
3. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारी की सेवा शर्तें राज्य सरकार के प्रचलित नियमों एवं शर्तों के अनुसार प्रभावी रहेंगी।


  
(कैलाश बैरवा)  
निदेशक

क्रमांक: एफ4(36)संस्थापन/असमावि/जिअसकअ/पार्ट-II/2018/16413-462

दिनांक :- 26-12-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, कार्यालय हाजा।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
5. जिला कलक्टर .....
6. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक कार्यालय हाजा।
8. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय .....
10. मुख्य/ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक।
11. संबंधित मुख्य/ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी .....
12. संबंधित जिला परियोजना समन्वयक/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को भेजकर लेख है कि उपरोक्त कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण हेतु तत्काल कार्यमुक्त करावें।
13. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी .....
14. संबंधित अधिकारीगण .....
15. श्री मोहम्मद उमरदराज, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि क्र.सं. 03 पर अंकित कार्मिक के कार्यग्रहण करने के पश्चात उनको कार्यभार सम्भालकर मूल विभाग हेतु कार्यमुक्त होवें।
16. श्री हनीफ खान, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जोधपुर को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थित तत्काल प्रभाव से निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर में देवें।
17. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा।
18. रक्षित पत्रावली, कार्यालय हाजा।

  
(अखिलेश कुमार पिपल)  
अतिरिक्त निदेशक